सप्तम अनुसूची

(अनुच्छेद २४६)

सूची १.–संघ-सूची

१. भारत की तथा उस के प्रत्येक भाग की प्रतिरक्षा जिस के अन्तर्गत प्रतिरक्षा के लिये तैयारी तथा सारे ऐसे कार्य भी हैं, जो युद्ध-काल में युद्ध को चलाने और उस की समाप्ति के पश्चात् सफलता पूर्वक सैन्य-वियोजन में सहायक हों।

२. नौ, स्थल और विमान बल; संघ के कोई अन्य सशस्त्र बल।

३. कटक क्षेत्रों का परिसीमन, ऐसे क्षेत्रों में स्थानीय स्वायत्तशासन, ऐसे क्षेत्रों के अन्दर कटक-प्राधिकारियों का गठन और शक्तियां, तथा ऐसे क्षेत्रों में गृह-वासन का विनियमन (जिस के अन्तर्गत किराये का नियन्त्रण भी है)।

४. नौ, स्थल और विमान-बल की कर्मशालायें।

५. शस्त्रास्त्र, अग्न्यस्त्र, युद्धोपकरण और विस्फोटक।

६. अणुशक्ति तथा उस के उत्पादन के लिये आवश्यक खनिज सम्पत्।

७. संसद्-निर्मित विधि द्वारा प्रतिरक्षा के प्रयोजन के लिये अथवा युद्ध चलाने के लिये आवश्यक घोषित किये गये उद्योग।

८. केन्द्रीय गुप्तवार्ता और अनुसंधान विभाग।

९. भारत की प्रतिरक्षा, विदेशीय कार्य या सुरक्षा सम्बन्धी कारणों से निवारक निरोध; इस प्रकार निरुद्ध व्यक्ति।

१०. विदेशीय कार्य; सब विषय जिन के द्वारा संघ का किसी विदेश से सम्बन्ध होता है।

११. राजनयिक, वाणिज्य-दूतिक और व्यापारिक प्रतिनिधित्व।

१२. संयुक्त राष्ट्र-संघटन।

१३. अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों, संस्थाओं और अन्य निकायों में भाग लेना तथा उन में किये गये विनिश्चयों की अभिपूर्ति।

१४. विदेशों से संधी और करार करना तथा विदशों से की गई संधियों, करारों और अभिसमयों की अभिपूर्ति।

बीमा-पत्रों, अंशों के हस्तान्तरण, ऋण-पत्रों, प्रति-पत्रियों और प्राप्तियों के सम्बन्ध में लगने वाले मुद्रांक-शुल्क की दर ।

९२. समाचार-पत्रों के क्रय या विक्रय पर तथा उन में प्रकाशित होने वाले विज्ञापनों पर कर ।

९३. इस सूची के विषयों में से किसी से सम्बद्ध विधियों के विरुद्ध अपराध ।

९४. इस सूची के विषयों में से किसी के प्रयोजनों के लिये जांच, परिमाप और सांख्यकी ।

९५. उच्चतमन्यायालय को छोड़ कर अन्य न्यायालयों के इस सूची में के विषयों में से किसी के सम्बन्ध में क्षेत्राधिकार और शक्तियां; नौकाधिकरण-क्षेत्राधिकार ।

९६. किसी न्यायालय में लिये जाने वाली फीसों को छोड़ कर इस सूची में के विषयों से किसी के बारे में फीस ।

९७. सूची (२) या (३) में से किसी में अवर्णित किसी कर के सहित उन सूचियों में अप्रगणित कोई अन्य विषय ।

सूची २.– राज्यसूची

१. सार्वजनिक व्यवस्था (किन्तु असैनिक शक्ति की सहायता के लिये संघ के नौ, स्थल या विमान बलों या किन्हीं अन्य बलों के प्रयोग को अन्तर्गत न करते हुए ।

२. आरक्षी, जिस के अन्तर्गत रेलवे और ग्राम आरक्षी भी है ।

३. न्याय-प्रशासन; उच्चतमन्यायालय और उच्चन्यायालय को छोड़ कर सब न्यायालयों का गठन और संघठन; उच्चन्यायालय के पदाधिकारी और सेवक; भाटक और राजस्वन्यायालयों की प्रक्रिया; उच्चतमन्यायालय को छोड़ कर सब न्यायालयों में ली जाने वाली फीसें ।

४. कारागार, सुधारालय, बोरस्टल संस्थायें और तद्रूप अन्य संस्थाएं और उन में निरुद्ध व्यक्ति; कारागारों और अन्य संस्थाओं के उपयोग के लिये अन्य राज्यों से प्रबन्ध ।

५. स्थानीय शासन अर्थात् नगर-निगम, सुधार-प्रन्यास, जिला-मंडलों, खनि बसति प्राधिकारियों तथा स्थानीय स्वशासन या ग्राम्य प्रशासन के प्रयोजन के लिये अन्य स्थानीय प्राधिकारियों का गठन और शक्तियां ।

६. सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता; चिकित्सालय और औषधालय।

७. भारत के बाहर के स्थानों की तीर्थ यात्राओं को छोड़ कर अन्य तीर्थ यात्राएं।

८. मादक पानों अर्थात् मादक पानों का उत्पादन, निर्माण, कब्जा, परिवहन, क्रय और विक्रय।

९. अंगहीनों आर नौकरी के लिये अयोग्य व्यक्तियों की सहायता।

१०. शव गाड़ना और कबरस्थान ; शव दाह और श्मशान।

११. सूची १ की प्रविष्टियों ६३, ६४, ६५ और ६६ तथा सूची ३ की प्रविष्टि २५ के उपबन्धों के अधीन रहते हुए शिक्षा, जिस के अन्तर्गत विश्वविद्यालय भी हैं।

१२. राज्य से नियंत्रित या वित्तपोषित पुस्तकालय, संग्रहालय या अन्य समतुल्य संस्थाएं ; संसद् से विधि द्वारा राष्ट्रीय महत्व के घोषित से भिन्न प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारक और अभिलेख।

१३. संचार अर्थात् सड़कें, पुल, नौका घाट तथा सूची १ में अनुल्लिखित संचार के अन्य साधन; नगर ट्राम-पथ; रज्जुपथ; अन्तर्देशीय जल-पथ और उन पर यातायात, वैसे जल-पथों के विषय में सूची १ और सूची ३ में के उपबन्धों के अधीन रहते हुए ; यंत्र-चालित यानों को छोड़ कर अन्य यान।

१४. कृषि, जिस के अन्तर्गत कृषि-शिक्षा और गवेषणा, पीड़कों से रक्षा तथा उद्भिद् रोगों का निवारण भी है।

१५. पशु के नस्ल का परिरक्षण, संरक्षण और उन्नति तथा पशुओं के रोगों का निवारण; शालिहोत्री प्रशिक्षण और व्यवसाय।

१६. पशुरोध और पशुओं के अनिचार का निवारण।

१७. सूची १ की प्रविष्टि ५६ के उपबन्धों के अधीन रहते हुए जल, अर्थात् जल-सम्भरण, सिंचाई और नहरें, जल निस्सारण और बंध जल-संग्रह और जल-शक्ति।

१८. भूमि, अर्थात् भूमि में या पर अधिकार, भूधृति जिस के अन्तर्गत भूस्वामी और किसानों का सम्बन्ध भी है, तथा भाटक का संग्रहण ; कृषि भूमि का हस्तांतरण और अन्य संक्रामण ; भूमि-सुधार और कृषि सम्बन्धी उधार ; उपनिवेशन।

१९. वन।

२०. वन्य प्राणियों और पक्षियों की रक्षा।

२१. मीन-क्षेत्र।

२२. सूची १ की प्रविष्टि ३५ के उपबन्धों के अधीन रहते हुए प्रति-